न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. 192/2021
जीसीएमएस : 2021/495
मैलो उर्फ परमजीत कौर आदि बनाम निर्मल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटी.एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण(अप्रार्थीगण)
2. श्री प्रीतम सिंह गिल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2(प्रार्थी)

–: निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी :–

दिनांक : 07.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी सं. 2 रेशम सिंह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र से पूर्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट निर्मल सिंह बनाम मैलो आदि, अप्रार्थी सं. 1 निर्मल सिंह द्वारा इसी न्यायालय में इसी भूमि के संबंध में इसी तथ्यों से आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब आने पर निर्मल सिंह का प्रार्थना पत्र मामला न बनने, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी का न बनने के कारण प्रार्थना पत्र सुनकर पूर्ण विवेचन कर खारिज कर दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र व उस प्रार्थना पत्र में वाद विषय एक समान है, और पक्षकार भी समान है और वादग्रस्त रकबा भी समान हैं। इस प्रकार पूर्व न्याय लागू होने के कारण यह प्रार्थना पत्र चल नहीं सकता और इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। रेशम सिंह व उसके पुत्र सुखजिन्द्र सिंह जो पूर्व के प्रार्थना पत्र में पक्षकार था, जिसके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत थी, नुकसान पंहुचाने हेतु व मुकदमेबाजी बढाने हेतु यह प्रार्थना पत्र निर्मल सिंह द्वारा ही मैलो द्वारा पेश करवा दिया गया है जो 11 सीपीसी के अनुसार न चलने के कारण वर्तमान स्थिति में खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2022 को बंद कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र विवादित भूमि में से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन के अनुतोष का पेश किया हैं। जिसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। पूर्ववर्ती निर्णित प्रकरण से यह प्रार्थना पत्र प्रभावित नहीं हैं। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी काबिल खारिज हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी(प्रार्थी) अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा पूर्व में समान पक्षकारों, समान वादग्रस्त रकबा, एक ही विषयवस्तु पर आधारित प्रकरण का न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण किया जा चुका हैं। अतः पूर्व न्याय (Res Judicata) लागू होने के कारण प्रार्थना 11 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थना इस आधार पर पेश किया गया हैं कि इस न्यायालय समान विषयवस्तु पर आधारित, समान विवादित भूमि एवं समान पक्षकारों के मध्य प्रकरण अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट निर्मल सिंह बनाम मैलो आदि का निस्तारण किया जा चुका हैं। हमने पत्रावली प्र.सं. 115/2018 अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट निर्मल सिंह बनाम मैलो आदि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण बतौर अप्रार्थी पक्षकार हैं तथा दोनों प्रकरणों में अंकित विवादित भूमि भी समान हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2021

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subha Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:1
Reason: SelfAttested

के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं। चूंकि उक्त पूर्ववर्ती निस्तारित प्रकरण 115/2018 में प्रार्थीगण को सुना जाकर निर्णय पारित किया जा चुका हैं। धारा 11 सीपीसी के अनुसार समान विषयवस्तु एवं पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती प्रकरण का विनिश्चय किया जा चुका है, इसलिए पश्चातवर्ती प्रकरण का विचारण नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट का खारिज किया जाता हैं, तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधज्ञा दिनांक 24.09.2021 को निरस्त किया जाता हैं।

आदेश **मेरे द्वारा आज दिनांक 07.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:13 IST
Reason: SelfAttested